कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 1524

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय:फसलों पर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग

1524. श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसलों पर कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण देश में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में फसलों पर कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया है/प्रस्तावित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार किसानों को उनकी उपज बढ़ाने और साथ ही हानिकारक कीटनाशकों से दूर रहने के लिए हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खेती, मिश्रित खेती आदि जैसे वैकल्पिक तरीकों के बारे में शिक्षित करने पर भी विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): देश में कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मानव या पशुओं या पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोकने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए कीटनाशकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती है। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति (आरसी), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर संस्थानों में किए गए अध्ययनों और क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर ही, लेबल और पत्रक पर खुराक, फसलों, एहतियाती उपायों, प्रतिकारको आदि के विवरण को मंजूरी देती है। यदि पंजीकृत कीटनाशकों का उपयोग लेबल और पत्रक के अनुसार किया जाता है, तो वे मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तथापि, फसलों पर कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण देश में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामलों में वृद्धि पर इस मंत्रालय को कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) की कार्यनीति को बढ़ावा देती है, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और अनुचित प्रबंधन को रोकने के लिए सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक तरीकों से कीट प्रबंधन की परिकल्पना की गई है और अंतिम उपाय के रूप में केवल आवश्यकता-आधारित रासायनिक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग का सुझाव दिया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किसानों के बीच उत्पादन बढ़ाने के लिए हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैव-कीटनाशक, जैव-उत्तेजक, जैविक खेती, मिश्रित खेती जैसे वैकल्पिक तरीकों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, जैव-कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण समिति द्वारा सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, साथ ही दो वर्षों की अनंतिम पंजीकरण अवधि के दौरान व्यावसायीकरण की अनुमति भी दी गई है। सीआईपीएमसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2024-25 के दौरान सीआईपीएमसी द्वारा कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर चलाए गए जागरूकता अभियान का विवरण

राज्य	सीआईपीएमसी का नाम	**2024-25**	
		अभियानों की संख्या	प्रतिभागी
हरियाणा	फरीदाबाद	19	666
हिमाचल प्रदेश	सोलन	3	55
जम्मू कश्मीर	जम्मू	6	231
	श्रीनगर	4	164
पंजाब	जालंधर	52	1134
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	60	1976
	गोरखपुर	20	1340
	आगरा	25	600
उत्तराखंड	देहरादून	17	455
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	19	425
ओडिशा	भुवनेश्वर	15	576
बिहार	पटना	16	365
झारखंड	रांची	48	817
अंडमान और निकोबार	पोर्टब्लेयर	2	41
असम	गुवाहाटी	41	1173
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	39	353
मेघालय	शिलांग	8	231
मणिपुर	इंफाल	8	289
मिजोरम	आइजोल	14	419
नगालैंड	दीमापुर	9	317
त्रिपुरा	अगरतला	7	170
कर्नाटक	बेंगलुरु	24	1093
तेलंगाना	हैदराबाद	35	842
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	11	493
केरल	एर्नाकुलम	20	594
तमिलनाडु	त्रिची	64	2017
महाराष्ट्र	नागपुर	22	787
	नासिक	11	519
मध्य प्रदेश	इंदौर	5	160
	मुरैना	15	857
गुजरात	वडोदरा	3	143
गोवा	मडगांव	1	48
छत्तीसगढ	रायपुर	15	613
राजस्थान	श्रीगंगानगर	18	299
	जयपुर	38	761
	चुरू	4	178
	बाड़मेर	1	35
	सूरतगढ़	1	35
कुल		**720**	**21271**

*****